

**C O N T E N T S**

**Sixteenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)  
No. 16, Tuesday, August 08, 2017/Shravana 17, 1939(Saka)**

<b><u>S U B J E C T</u></b>	<b><u>P A G E S</u></b>
<b>WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MEXICO</b>	9
<b>SUBMISSION BY MEMBERS</b> Re: Reported attack on the Congress Vice-President by workers of a political party in Gujarat	11-22
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos. 301 to 320	23-102
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680	103-582

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 584-600

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA** 601

**REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN  
PARLIAMENTARY DELEGATION** 601

**STATEMENTS BY MINISTERS**

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 16<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 12<sup>th</sup> Report of Committee, on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas

**Shri Dharmendra Pradhan** 602

- (ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 127<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Ease of Doing Business' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry
- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 130<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Industrial Policy in changing Global Scenario' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry
- (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 132<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2017-18) (Demand No. 11), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

**Shrimati Nirmala Sitharaman** 603-604

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 34<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Steps taken to bridge the gap between the Demand and Availability of Fodder through Sub Mission on Fodder and Feed Development', pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

**Shri Sudarshan Bhagat**

604

- (iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 277<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

**Shri Babul Supriyo**

605

- (v)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 17<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 28<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 20<sup>th</sup> Report of Committee on 'Functioning of Autonomous Institutions - Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

**Shri Mansukh L. Mandaviya**

606

- (vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 187<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 177<sup>th</sup> Report of the Committee on Coastal Security Scheme, pertaining to the Ministry of Home Affairs

**Shri S.S. Ahluwalia**

607

- (vii) Status of implementation of the recommendations contained in the 15<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

**Shri C.R. Chaudhary**

608

**ELECTIONS TO COMMITTEES**

609-610

- (i) Committee on Public Accounts

609

- (ii) Coconut Development Board

610

**MATTERS UNDER RULE 377**

611-638

- (i) Need to provide financial assistance to farmers of desert areas of Rajasthan for fencing of their agricultural fields

Shri Rahul Kaswan

612

- (ii) Need to increase the frequency of Ranchi-Tori train no. 58653/58654 and extend the operation of the train upto Garhwa Road

Shri Sunil Kumar Singh

613-614

- (iii) Need to construct raised platforms in Kaziranga National Park and Pobitora Wildlife sanctuary to enable animals take shelters during floods

Shri Kamakhya Prasad Tasa

615-616

- (iv) Need to set up a cyber security authority in the country  
Prof. Richard Hay 617
- (v) Need to undertake renovation of Sabya Airport in Gopalganj district, Bihar  
Shri Janak Ram 618
- (vi) Need to provide funds for various old and ongoing projects in Jharkhand  
Shi Nishikant Dubey 619-620
- (vii) Need to ensure provision of ponds in the premises of residential colonies and multi-storey buildings for recharging of ground-water  
Shri Rajendra Agrawal 621
- (viii) Need to declare Minimum Support Price for farm produce in a time-bound manner  
Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 622
- (ix) Need to set up Skill Development and training centres in Aurangabad district, Bihar  
Shri Sushil Kumar Singh 623
- (x) Need to check the cyber game 'Blue Whale'  
Dr. Kirit Somaiya 624
- (xi) Need to set up a Tertiary Cancer Centre in Darbhanga Medical College, Bihar  
Shri Kirti Azad 625

- (xii) Need to reserve various posts in PSUs of Gujarat for recruitment of local people  
Shrimati Jayshreeben Patel 626
- (xiii) Need to set up a separate unit for treatment of cancer in hospitals in Banda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh  
Shri Bhairon Prasad Mishra 627
- (xiv) Regarding details of agreement between Government of India and NSCN (IM) of Nagaland  
Dr. Thokchom Meinya 628
- (xv) Regarding implementation of MUDRA Scheme in Thanjavur Parliamentary Constituency of Tamil Nadu  
Shri K. Parasuraman 629
- (xvi) Need to improve the mechanism of payment of premium under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana  
Dr. K. Gopal 630-631
- (xvii) Need to review the decision to divest Air India  
Shri Dinesh Trivedi 631-632
- (xviii) Need to set up a branch of Life Insurance Corporation of India at Malkangiri, Odisha  
Shri Balabhadra Majhi 633
- (xix) Need to take suitable step for resettlement of Jhuggi-Jhopri clusters presently occupying land owned by the Mumbai Airport Authority  
Shri Vinayak Bhaurao Raut 634

- |         |   |     |
|---------|---|-----|
| (xx)    | Regarding new rail coach factory in Palakkad, Kerala  |     |
|         | Shri M. B. Rajesh   | 635 |
| (xxi)   | Need to review functioning of DISHA Committee   |     |
|         | Shrimati Kothapalli Geetha  | 636 |
| (xxii)  | Need to ensure speedy justice in cases of crimes against women  |     |
|         | Shrimati Supriya Sule   | 637 |
| (xxiii) | Need to accord approval to the proposal of Government of Uttar Pradesh to start new Sainik School in Mainpuri district, Uttar Pradesh |     |
|         | Shri Tej Pratap Singh Yadav   | 638 |

**STATUTORY RESOLUTIONS RE: INCREASE IN BASIC CUSTOMS DUTY**

Shri Arun Jaitley	639-641
-------------------	---------

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	650
Member-wise Index to Unstarred Question	651-656

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	657
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	658

**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Sumitra Mahajan

**THE DEPUTY SPEAKER**

Dr. M. Thambidurai

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

**SECRETARY GENERAL**

Shri Anoop Mishra



**LOK SABHA DEBATES**

---

---

LOK SABHA

-----

Tuesday, August 8, 2017/Shravana 17, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MEXICO**

HON. SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I would like to make an announcement.

On behalf of the hon. Members of the House and on my own behalf, I have great pleasure in welcoming H.E. Ms. Maria Guadalupe Murguia Gutierrez, President of the Chamber of Deputies of the Congress of Mexico and members of the Mexican Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests. They arrived in India on Sunday, 6 August, 2017 and visited Agra on Monday, 7 August, 2017. They are now seated in the Special Box.

India and Mexico enjoy warm and friendly ties. Our Prime Minister had a very fruitful visit to Mexico in June, 2016. Both sides have agreed to elevate the relationship to a Strategic Partnership.

I wish the visiting delegation a happy and fruitful stay in our country. Through them I would also like to convey our greetings and best wishes to the Congress, the Government and the friendly people of Mexico.

---

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आज मैं अभिनंदन करती हूँ, इनका भी स्वागत करती हूँ, हमारे गृह मंत्री जी अब स्वस्थ होकर आए हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन नम्बर 301।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, आज सभी लोग एक बात समझ लीजिए, कृपा करके इसको प्रिसिडेन्ट नहीं बनायें। मगर मैं एक बात जरूर मानती हूँ कि आपने जो भी एडजर्नमेंट नोटिस दिया है और जिस सदस्य के बारे में दिया है, आज की तारीख में वह इस सभा का सदस्य है। इसलिए मैं आपको यह मामला अभी उठाने के लिए समय दे रही हूँ। मगर आप यह भी मान लीजिए कि हमारे रूल्स के मुताबिक नो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर भी है। मैं अभी इसे एडजर्नमेंट मोशन करके नहीं ले रही हूँ, आप अपनी बात अभी कह सकते हैं, and if the Government wants to respond, I have no objection to that also. लेकिन इसे एडजर्नमेंट मोशन की तरह से मत लेना और इसे कोई प्रिसिडेन्ट भी मत बना लेना।

...(व्यवधान)

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):** मैडम, सभा की मर्यादा रखते हुए मैंने एडजर्नमेंट मोशन नहीं दिया, मेरी जी.एस.टी. की जो प्रॉब्लम है...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपका क्या हुआ? आप अभी बैठिये, मैं बाद में देखूंगी। ऐसे तो हर एक की समस्या है। I am not taking up the Adjournment Motion. जय प्रकाश जी, आप बैठिये, मैं एडजर्नमेंट मोशन नहीं ले रही हूँ।

...(व्यवधान)

**11.04 hours****SUBMISSION BY MEMBERS****Re: Reported attack on the Congress Vice-President by workers of a political party in Gujarat**

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** आप बोलने दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैडम स्पीकर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्व का मुद्दा उठाने के लिए मुझे समय दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वह बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर पत्थर फेंके गये। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल-बाल बचे लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गये। ... (व्यवधान) इसी सदन में बीजेपी के बहुत से बड़े-बड़े नेताओं का और सरकार की ओर से भी एक वक्तव्य आया था कि जम्मू-कश्मीर में जो पथरावबाजी हो रही थी, वह टैरिस्ट कर रहे हैं। यह आप सब मानते हैं, लेकिन गुजरात में कौन से... \* आए? वे कौन से थे, मैं वह पूछना चाहता हूँ। क्या जम्मू-कश्मीर से टैरिस्ट आए थे? क्या गुजरात में... \* इनकी जान लेना चाहते थे?... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No allegations.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Allegations will not go on record.

... (Interruptions)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** इस हमले का मकसद श्री राहुल गांधी जी को नुकसान पहुंचाना था। इस कारगराना हमले में उनका एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया।... (व्यवधान) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही या इसकी जानबूझकर अनदेखी की गई। ... (व्यवधान) यह भी देखने वाली बात है। राहुल गांधी जी पहले असम गये थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि वह गुजरात गये। ... (व्यवधान) वह असम गये थे, राजस्थान गये थे, फिर गुजरात गये थे। गुजरात में बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। नुकसान हुआ है। ... (व्यवधान) वहां ... \* पांच दिन के बाद तब गये जब कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया। ... (व्यवधान) राज्य में बाढ़ से 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, लम्बा-चौड़ा भाषण क्यों पढ़ते हैं?

... (व्यवधान)

---

\* Not recorded.

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** जबकि बाढ़ से बनासकाठा में करीब 70 लोगों की मौत हुई। ... (व्यवधान) जहां पर ...\* पांच दिन के बाद गये।... (व्यवधान) जिस वक्त यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया, उसके बाद पांच दिन के बाद चीफ मिनिस्टर गये। तो ये आज पूछ रहे हैं कि एमएलएज कहां थे?... (व्यवधान) ...\* कहां थे? पांच दिन के बाद वह वहां पहुंचे।... (व्यवधान)

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):** माननीय अध्यक्ष जी, यह जो खड़गे जी ने गुजरात की जनता को...\* बोलने की बड़ी अपमानजनक बात कही है।... (व्यवधान) उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर कुछ भी गलत है, तो मैं एक्सपंज करूंगी।

... (व्यवधान)

**श्री अनन्तकुमार :** अध्यक्ष जी, गुजरात की जनता को, गुजरात के कार्यकर्ताओं को कश्मीर के ...\* के साथ रखना यह सरासर गलत है।... (व्यवधान) उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए।... (व्यवधान) खड़गे जी को... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will expunge.

... (Interruptions)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मैडम, अगर कोई पत्थरबाजी उनके ऊपर होती तो क्या होता?... (व्यवधान) आपके लीडर के ऊपर अगर ऐसी पत्थरबाजी होती तो क्या होता?... (व्यवधान) अगर वह पथराव पीछे सीट में गिरने की बजाय आगे गिर जाता तो उनकी जान जा सकती थी।... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो लोग गोली मारकर जान लेते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात अब हो गयी है। No allegations.

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** यहां पर पथरावबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर जरा सी भी गलत बातें होंगी तो मैं उनको एक्सपंज करूंगी।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं।... (व्यवधान) यह शहीद का बेटा है। ... (व्यवधान) दो जान वहां पर चली गयी हैं।... (व्यवधान) ...\* इससे डरने वाले नहीं हैं। ... (व्यवधान) कांग्रेस को डराने की अगर कोई कोशिश या हिम्मत करता है, तो मैं यह कहता हूँ कि... (व्यवधान)

---

\* Not recorded.

**माननीय अध्यक्ष :** सुनिए, अब हो गया। केवल एलीगेशन पर एलीगेशन मत लगाइए।

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मैडम, यह तो हमारी अहिंसात्मक लड़ाई है, हिंसा की बात आप करते हैं।...(व्यवधान) गोडसे की बात आप करते हैं, लेकिन हम गांधी जी की बात करते हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए गांधी जी ने यह कहा, मैं आपके सामने यह कहता हूँ कि...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अभी इतना भाषण क्यों करते हैं?

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मैडम, मैं आपके सामने कहता हूँ कि यह घटना राजनीतिक जोश की पराकाष्ठा है और लोकतंत्र के हित में नहीं है। ...(व्यवधान) कभी भी लोग मुसीबत में हों तो उनके पास जाना कोई गुनाह नहीं है।...(व्यवधान) यह कांग्रेस की परम्परा है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, बस अब समाप्त करिए। पूरा समय समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** माननीय अध्यक्ष जी, इस परम्परा के अन्तर्गत आज यह याद दिलाना जरूरी है कि आज के दिन 8 अगस्त 1942 को भारत,...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अच्छा, ठीक है। बैठिए। आपकी बात हो गयी न। अच्छा, ठीक है। एक वाक्य पूरा करिए।

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** माननीय अध्यक्ष जी, यह याद दिलाना जरूरी है कि आज के दिन क्विट इंडिया का 1942 में जो डिसीजन हुआ था, उस वक्त “भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस लोक तंत्र का मैंने विचार कर रखा है, उस लोक तंत्र का निर्माण अहिंसा से होगा जहां हर किसी के पास समान आजादी और अधिकार होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि “इस समय जहां मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मन में किसी के प्रति घृणा का निर्माण हो।” यह गांधी जी का संदेश है। आपका संदेश क्या है? घृणा है, पत्थरबाजी है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं। ऐसे नहीं। बैठिए।

... (व्यवधान)\*

---

\* Not recorded.

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे** : मैडम स्पीकर, मैं चाहूंगा कि इस पर एक्शन हो और तमाम लोगों को, जिन्होंने यह काम किया है। उनके ऊपर एक्शन हो।... (व्यवधान) इस घटना के लिए बीजेपी के लोग माफी मांगे क्योंकि वह युवा कांग्रेस के नेता हैं। ... (व्यवधान) इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर एक्शन लो और उनके साथ जो भी लोग थे उनको भी एक्शन लो।... (व्यवधान) और इस सदन को आप इस बारे में बताइए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : बैठिए। नहीं कोई बोलेगा। यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR)**: Madam, I would like to make a brief submission.... (Interruptions)

**HON. SPEAKER**: No, I will not allow you.

.... (Interruptions)

**HON. SPEAKER**: Who are you to say anything? This is not a discussion. No, I will not allow you. Discussion is not going on now.

.... (Interruptions)

**HON. SPEAKER**: Do you not want to listen to me?

.... (Interruptions)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे** : मैडम, ये सभी कंडैम करना चाहते हैं, इसलिए इनको भी बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : मैंने पहले ही बोला कि यह डिस्कशन नहीं है। खड़गे जी, केवल आपका जो नोटिस था, इसलिए मैंने आपको बोलने का समय दिया है।

... (व्यवधान)

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)** : माननीय अध्यक्ष जी, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य ने 4 अगस्त, 2017 को धनेरा और थारा, जिला बनासकाठा, गुजरात का दौरा किया था। ... (व्यवधान) राज्य पुलिस को इस दौरे के बारे में 1 अगस्त 2017 को सूचित किया।... (व्यवधान) लेकिन श्री गांधी का विस्तृत कार्यक्रम राज्य पुलिस को 3 अगस्त, 2017 को ही भेजा गया। चूंकि श्री राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए श्री गांधी के धनेरा, थारा और अहमदाबाद के निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में एडवांस सिक्योरिटी लायजन (एएसएल) कर लिया गया था।... (व्यवधान) एएसएल के दौरान एसपीजी, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एएसएल की रिपोर्टों में दर्ज की गई टिप्पणियां तथा राज्य आसूचना विभाग के

अनुदेशों के आधार पर राज्य पुलिस ने उन सभी स्थानों पर जहां श्री गांधी को जाना था,...(व्यवधान) वहां स्टेटिक गार्ड, रूट बंदोबस्त, मोबाइल पैट्रोलिंग तथा कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। राज्य पुलिस द्वारा बुलेट रैसिस्टेंट कार तथा जैमर्स की भी व्यवस्था की गई थी।

गुजरात के धनेरा में, जिस स्थान पर वे गए थे, वहां बंदोबस्त हेतु एस.पी. रैंक के दो अफसर लगाए गए थे, डीएसपी रैंक के 06 अफसर लगाए गए थे, सात इंस्पैक्टर्स थे, सब-इंस्पैक्टर-20 थे, 236 कॉन्स्टेबल्स थे और 134 की संख्या में स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा इस बंदोबस्त को मज़बूत करने के लिए अन्य इंतजाम, जो भी वहां की राज्य सरकार ने आवश्यक समझा, वे सारे इंतजाम राज्य सरकार ने किए थे। जिसकी बहुत डिटेल् में जा कर यहां चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

थावर हैलिपेड पर पहुंच कर श्री गांधी बुलेट रजिस्टेंट कार की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन-बीआर (टोयोटा फॉर्चूनर) वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कॉनवॉय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना। पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना। एसपीजी के अधिकारियों की बात को नहीं माना, बल्कि अपने पीएस की बात को माना। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज़ सुनिए, वही सब बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सुनना तो पड़ेगा।

...(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह :** महोदया, परंतु मैं एसपीजी के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एसपीजी ने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए, एसपीजी ड्राइवर को नॉन-बुलेट रजिस्टेंट कार को ड्राइव करने के लिए तैनात किया। ...(व्यवधान) यानि जो दूसरे कार का ड्राइवर था, उसको इनकी जो नॉन-बीआर कार थी, उसको ड्राइव करने के लिए हमारे एसपीजी के अधिकारियों ने कहा। ...(व्यवधान) क्योंकि एसपीजी ड्राइवर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्राइविंग में प्रशिक्षित होते हैं, जो कि वीवीआईपी सुरक्षा उद्युतियों के लिए आवश्यक है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सब सुनिए न कि क्या-क्या किया था।

...(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) आगे की सड़क यात्रा के दौरान एसपीजी सुरक्षा प्राप्त श्री राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए बार-बार वाहन से



उतरते रहे तथा सुरक्षा मानदण्डों का बराबर उन्होंने उल्लंघन किया। ... (व्यवधान) वे ऐसे स्थानों पर भी रुके, जहां पर उनका कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था ही नहीं, उन स्थानों पर भी वे रुके। ... (व्यवधान)

दौरे के दौरान श्री राहुल गांधी 03 बज कर 20 मिनट पर धनेरा लाल चौक पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 4000 लोगों के जन समूह को संबोधित किया। ... (व्यवधान) लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ सभा स्थल के समीप सड़क के सामने इकट्ठी हो गई थी। ... (व्यवधान) श्री गांधी के भाषण के दौरान दो विरोधकर्ता नारे लगाते हुए काले झंडे के साथ बाहर आए। ... (व्यवधान) इन लोगों को तत्काल पुलिस ने रोक लिया। ... (व्यवधान) यद्यपि यह सभा 15 से 20 मिनट तक चलनी थी, किंतु श्री गांधी 7-8 मिनट में ही थावर हैलीपेड के लिए निकल गए। ... (व्यवधान) जब उनका काफिला लाल चौक को पार कर रहा था, तभी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका, जिससे पिछले बांये दरवाजे की खिड़की, जो नॉन-बीआर कार थी, उसका शीशा टूट गया। ... (व्यवधान) इस घटना में श्री गांधी को कोई चोट नहीं आई। ... (व्यवधान) परंतु उनके एसपीजी के पीएसओ को बाएं हाथ में चोट आई। ... (व्यवधान)

### **11.19 hours**

*(At this stage, Shri Rajiv Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the table.)*

महोदया, इस संबंध में राज्य की ओर से स्थानीय पुलिस द्वारा धनेरा पुलिस थाना में अपराध संख्या 59/2017 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 337 और 427 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है, तथा इसकी जांच चल रही है। ... (व्यवधान) जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी गुजरात की पुलिस ने किया है, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। ... (व्यवधान) इस घटना को गंभीरता से लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस घटना के सभी सुसंगत पहलुओं की जांच कराने के लिए, उसी दिन अपर पुलिस महानिदेश रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। ... (व्यवधान) पूरे मामले की जांच करने के लिए एडीजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है। ... (व्यवधान)

यह उल्लेखनीय है कि श्री गांधी को बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करना चाहिए था, जो एक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनको करना अपेक्षित है। ... (व्यवधान) ऐसा करने पर इस घटना के सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस को प्रभावी तरीके से निष्प्रभावी किया जा सकता था। ... (व्यवधान) लेकिन जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, उन्होंने उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया। ... (व्यवधान)

धनेरा से प्रस्थान करने के बाद तथा अपने अगले कार्यक्रम के लिए थारा पहुंचने पर एसपीजी ने श्री गांधी को पुनः बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करने की सलाह दी, किन्तु वे उससे भी सहमत नहीं हुए। ... (व्यवधान) यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन किया। ... (व्यवधान) सुरक्षा सम्बन्धी सलाह

को नजरअंदाज करते हुए वे फिर नॉन-बीआर पार्टी कार से ही गए।... (व्यवधान) उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने स्वयं को खतरे में डालकर, जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम लगी थी, उसने स्वयं अपने को खतरे में डालकर वाहन के फुट बोर्ड पर खड़े होकर श्री गांधी को बॉडी कवर उस समय प्रदान किया।... (व्यवधान)

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी श्री गांधी इस प्रकार की जो भी सिक्योरिटी एडवाइजरीज रही हैं, जो सुरक्षा सलाह रही हैं, उनको बराबर नजरअंदाज करते रहे हैं।... (व्यवधान) बराबर उसकी अवहेलना करते रहे हैं।... (व्यवधान) इसके पहले भी 21 जुलाई को राजकोट (गुजरात) का दौरा उन्होंने किया था।... (व्यवधान) उस समय भी श्री गांधी को एसपीजी द्वारा दी गई बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करने की जो सलाह दी गयी, उसकी भी उन्होंने अवहेलना कर दी।... (व्यवधान) उसकी भी उपेक्षा कर दी।... (व्यवधान) फिर से नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार में जाकर व बैठकर उन्होंने अपनी यात्रा की।... (व्यवधान)

महोदया, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर-निर्धारित आंतरिक दौरे यानी इस देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें उन्होंने बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग न करके 100 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन-बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया।... (व्यवधान) ये उल्लंघन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता तथा श्री राहुल गांधी के कार्यालय के ध्यान में भी लाये गये हैं।... (व्यवधान) जब-जब इन्होंने, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका उल्लंघन किया है, वह उस पार्टी की अध्यक्षता के भी संज्ञान में लाये गये हैं, पार्टी कार्यालय के संज्ञान में भी लाये गये हैं, राहुल गांधी के भी संज्ञान में लाये गये हैं, परन्तु उनके कार्यालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।... (व्यवधान)

इसी प्रकार, श्री राहुल गांधी सुरक्षा सलाह को नजरअंदाज करते हुए विदेशी दौरों के सम्बन्ध में भी एसपीजी को प्रस्थान के समय से मात्र कुछ घंटे पहले ही सूचित करते हैं। इससे सुरक्षा प्रबंध, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंशोर करने के लिए एसपीजी को जितना समय मिलना चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाता है।... (व्यवधान) पिछले दो वर्षों में श्री गांधी छह विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं।... (व्यवधान) इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है।... (व्यवधान) यह स्वाभाविक है, यह देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि वे विदेश में कहाँ गये।... (व्यवधान) क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया।... (व्यवधान) एसपीजी कवर तो इसीलिए मिला हुआ है, वे चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, बराबर एसपीजी कवर उनके साथ रहेगा, लेकिन वे जानबूझकर एसपीजी कवर को इसी देश में छोड़ देते हैं और विदेशों की यात्रा करते हैं।... (व्यवधान)

एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को सिक्योरिटी कवर संसद के अधिनियम के तहत प्राप्त होता है।... (व्यवधान) इसी संसद ने एसपीजी एक्ट बनाया है।... (व्यवधान) एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को हर

समय सुरक्षा उपलब्ध कराने और इसकी जिम्मेदारी एसपीजी को सौंपने में संसद की इच्छा तथा विवेक को भी दर्शाता है।... (व्यवधान) यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, अध्यक्ष महोदया, मैं यहाँ पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एसपीजी कवर को प्रोटेक्टी से हटाया नहीं जा सकता है।... (व्यवधान) “It goes with the person of the protectee, as the shadow would a man” यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।... (व्यवधान) यह एसपीजी पर निर्भर है कि वह प्रोटेक्टी के लिए कैसे सार्थक सुरक्षा प्रदान करे।... (व्यवधान) प्रोटेक्टी को एसपीजी की प्रोफेशनल एडवाइस माननी चाहिए। एसपीजी कवर के बिना विदेश जाना वास्तव में न केवल एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, परंतु स्वयं की सुरक्षा हेतु भी यह लापरवाही है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिस समय राहुल गांधी जी का गुजरात का दौरा था, उसी समय वहाँ के मुख्य मंत्री का भी दौरा चल रहा था, लेकिन वहाँ के मुख्य मंत्री के खिलाफ कहीं से भी कोई नारेबाज़ी नहीं हुई, कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ, और जिस पार्टी के वे उपाध्यक्ष हैं, वह वहाँ विरोध पक्ष में है, विरोध पक्ष के नेता के खिलाफ यदि जनता यह नारेबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हुए। ... (व्यवधान) हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार ने मुहैया कराई थी। जो लोग भी पत्थर फेंकने वाले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई भी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मैं पुनः इस सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि शायद कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यह मानकर चलता हूँ एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि यदि राहुल गांधी गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तो शायद उनकी यह मंशा रही हो कि जो आपदा राहत वहाँ की सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसका वह जायज़ा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की यात्रा उन्होंने आपदा राहत का जायज़ा लेने के लिए नहीं की, बल्कि शायद आपदा पर्यटन के लिए वहाँ पर वे बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए गए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था एक ड्रिल है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है। सारी की सारी सुरक्षा उस समय धरी रह जाती है, जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सुरक्षा के सारे नॉर्म्स का, सुरक्षा के सारे सुझावों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दे। एक नहीं, दो दो वीआईपी कार उनको मुहैया कराई गई थीं, फिर भी वह थर्ड पार्टी कार में जाकर बैठे। क्यों ऐसा किया, यह हमारी समझ के बाहर है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी इस देश की अनमोल धरोहर हैं। उनके ऊपर यदि इस प्रकार की कहीं से भी कोई पत्थरबाज़ी होती है तो हम सबके लिए

यह चिन्ता का विषय है। धनेरा में पत्थर चलने के बाद भी वे नॉन वीआईपी कार में जाकर बैठ गए। राहुल जी की सुरक्षा के प्रति अवहेलना की बातें कई बार संज्ञान में आई हैं। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था कि वे बार-बार विदेश यात्राओं में भी एसपीजी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या छिपाना चाहते हैं कि जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अपने साथ एसपीजी को लेकर नहीं जाते, वे किस बात को छिपाना चाहते हैं ? ... (व्यवधान) यह सदन भी जानना चाहेगा, देश भी जानना चाहेगा। एसपीजी की सुरक्षा एसपीजी एक्ट के तहत उन्हें मिली है, लेकिन यह बहुत ही विडंबना है कि बराबर एसपीजी द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उनके द्वारा बराबर उसका उल्लंघन होता है। बनासकांठा में जो कुछ भी हुआ, वह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, उसे किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। पत्थर चाहे किसी पर चले, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता अथवा नेता क्यों न हो, अथवा हमारे सेना की सुरक्षा के जवान ही क्यों न हों, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। ... (व्यवधान)

मैं अंत में पुनः अपनी गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ज्यों ही इस घटना की जानकारी उनके संज्ञान में आई, तुरंत गुजरात की सरकार ने कार्रवाई की है। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

---

**माननीय अध्यक्ष :** आपने डिमांड किया तो राजनाथ सिंह जी ने पूरी बात कही। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं होता है। आपको सीट पर जाना पड़ेगा। खड़े भी रहें, रोज रोज यह नहीं चलता।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. Now, I will not allow this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: First, please go back to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Question no. 301 – Kumari Sushmita Dev.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.00 o'clock.

**11.30 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.*

---

**12.01 hours**

*The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Twelve of the Clock.*

*(Hon. Speaker in the Chair)*

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of business of the day. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

*... (Interruptions)*

**12.02 hours****PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): On behalf of Dr. Harsh Vardhan, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the years 2014-2015 and 2015-2016.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7384/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri S.S. Ahluwalia, I beg to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing action taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by Ministers during various sessions of Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

**TWELFTH LOK SABHA**

1. Statement No.44 Fourth Session, 1999

[Placed in Library, See No. LT 7385/16/17]

- THIRTEENTH LOK SABHA
2. Statement No.36 Twelfth Session, 2003  
[Placed in Library, See No. LT. 7386/16/17]

- FOURTEENTH LOK SABHA
3. Statement No.26 Eighth Session, 2006  
[Placed in Library, See No. LT 7387/16/17]
4. Statement No.31 Ninth Session, 2006  
[Placed in Library, See No. LT 7388/16/17]
5. Statement No.28 Tenth Session, 2007  
[Placed in Library, See No. LT 7389/16/17]
6. Statement No.27 Twelfth Session, 2007  
[Placed in Library, See No. LT 7390/16/17]
7. Statement No.30 Thirteenth Session, 2008  
[Placed in Library, See No. LT 7391/16/17]
8. Statement No. 28 Fourteenth Session, 2008  
[Placed in Library, See No. LT 7392/16/17]

- FIFTEENTH LOK SABHA
9. Statement No.31 Second Session, 2009  
[Placed in Library, See No. LT 7393/16/17]
10. Statement No.26 Third Session, 2009  
[Placed in Library, See No. LT 7394/16/17]
11. Statement No.26 Fourth Session, 2010  
[Placed in Library, See No. LT 7395/16/17]
12. Statement No.25 Fifth Session, 2010  
[Placed in Library, See No. LT 7396/16/17]



13. Statement No.25 Sixth Session, 2010  
[Placed in Library, See No. LT 7397/16/17]
14. Statement No.22 Seventh Session, 2011  
[Placed in Library, See No. LT 7398/16/17]
15. Statement No.23 Eighth Session, 2011  
[Placed in Library, See No. LT 7399/16/17]
16. Statement No.22 Ninth Session, 2011  
[Placed in Library, See No. LT 7400/16/17]
17. Statement No.21 Tenth Session, 2012  
[Placed in Library, See No. LT 7401/16/17]
18. Statement No.19 Eleventh Session, 2012  
[Placed in Library, See No. LT 7402/16/17]
19. Statement No.18 Twelfth Session, 2012  
[Placed in Library, See No. LT 7403/16/17]
20. Statement No.17 Thirteenth Session, 2013  
[Placed in Library, See No. LT 7404/16/17]
21. Statement No.14 Fourteenth Session, 2013  
[Placed in Library, See No. LT 7405/16/17]
22. Statement No.13 Fifteenth Session, 2013-14  
[Placed in Library, See No. LT 7406/16/17]



(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7417/16/17]

(3) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त (वरिष्ठ शोध अधिकारी) भर्ती नियम, 2017, जो 7 जुलाई, 2017 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/20/99/गृह(पी)/स्थापना/1641-1644 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7418/16/17]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7419/16/17]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7420/16/17]

- (5) नाशक कीट और नाशक जीवन अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2017, जो 7 जुलाई 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2152(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 7421/16/17]

- (6) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7422/16/17]

- (7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) का.आ. 2315(अ) जो 25 जुलाई अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, जो किसानों को बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (2) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा आदेश, 2017 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1444(अ) प्रकाशित हुए थे।
- (3) का.आ. 1445(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयात किए जाने वाले उर्वरकों के संबंध में विशिष्टताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, को अधिसूचित किया गया है।
- (4) का.आ. 1446(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले अस्थायी उर्वरक 24-24-0 के संबंध में विशिष्टताएं, अधिसूचित की गई हैं।

- (5) का.आ. 1447(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ.997(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 7423/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-

- (i) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised Draughtsman Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.153 in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> May, 2017.
- (ii) The Sashastra Seema Bal, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.151 in weekly Gazette of India dated 6<sup>th</sup> May, 2017.
- (iii) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Group 'B' Combatised Armourer Cadre posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.189 in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> May, 2017.
- (iv) The Sashastra Seema Bal, Combatised Sub-Inspector (General Duty) Group 'B', Non-Gazetted post Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.188 in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> May, 2017.
- (v) The Sashastra Seema Bal, Combatised Para-Medical Staff, Group 'B' (Non-Gazetted) posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.186 in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> May, 2017.

- (vi) The Sashastra Seema Bal Combatised Para-Medical Staff Group 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.185 in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> May, 2017.
- (vii) The Sashastra Seema Bal Combatised Assistant Sub-Inspector (General Duty) Group 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.183 in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> May, 2017.
- (viii) The Sashastra Seema Bal Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Motor Transport and Mechanic Cadre Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.155 in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> May, 2017.
- (ix) The Sashastra Seema Bal Group 'C' Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.184 in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> May, 2017.
- (x) The Sashastra Seema Bal, Combatised Constable (Driver) Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.60 in weekly Gazette of India dated 4<sup>th</sup> March, 2017.
- (xi) The Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Cadre Group 'B' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.171 in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> May, 2017.
- (xii) The Sashastra Seema Bal Group 'A' Combatised (General Duty) Second-In-Command, Deputy Commandant and Assistant Commandant posts, Recruitment Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.502(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> May, 2017.

- (xiii) The Sashastra Seema Bal, Group 'A' Combatised (Gazetted) Ministerial and Private Secretary Cadre Post Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.498(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> May, 2017.
- (xiv) The Sashastra Seema Bal, Combatised (General Duty) Group 'C' post Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.152 in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> April, 2017.
- (xv) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised Tradesmen Cadre Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.172 in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> May, 2017.
- (xvi) The Sashastra Seema Bal Combatised Medics Cadre (Non-professional) Group 'B' and 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.229 in weekly Gazette of India dated 8<sup>th</sup> July, 2017.
- (xvii) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal Combatised Inspector (Veterinary) Non-Gazetted Group 'B' Para-Veterinary Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.190 in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> May, 2017.
- (xviii) The Sashastra Seema Bal Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Pioneer Cadre, posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.154 in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> May, 2017.
- (xix) The Sashastra Seema Bal, Group 'A' Combatised Engineering Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.837(E) in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> July, 2017.

- (xx) The Sashastra Seema Bal, Combatised Armourer Cadre (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.182 in weekly Gazette of India dated 18<sup>th</sup> May, 2017.
- (xxi) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Para Veterinary Post Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.187 in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> May, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7424/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968:-

- (i) The Border Security Force, Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Combatised post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.933(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> July, 2017.
- (ii) The Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.934(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> July, 2017.
- (iii) The Border Security Force, (Combatised Ministerial Cadre) Group 'A', Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.935(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7425/16/17]



**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7426/16/17]

(2) निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो 21 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.939 (अ) में (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7427/16/17]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--

(एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हता को मान्य दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 22 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 456(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 7428/16/17]

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 48 के अंतर्गत एनडीडीबी (निधि, लेखा और बजट का प्रशासन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7429/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7430/16/17]

- (ii) Memorandum of Understanding between the Heavy Engineering Corporation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7431/16/17]

- (iii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Salts Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7432/16/17]

- (iv) Memorandum of Understanding between the Sambhar Salts Limited and the Hindustan Salts Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7433/16/17]

- (v) Memorandum of Understanding between the BBJ Construction Company Limited and the Department of Heavy Industry for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7434/16/17]

- (vi) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Electronics and Instruments Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7435/16/17]

- (vii) Memorandum of Understanding between the Bridge and Roof Company (I) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7436/16/17]

(2) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 29 of 2017)-Performance Audit on Competitiveness of BHEL in Emerging Markets, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT. 7437/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7438/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
  - (i) Memorandum of Understanding between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7439/16/17]
  - (ii) Memorandum of Understanding between the National Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7440/16/17]
  - (iii) Memorandum of Understanding between the Madras Fertilizer Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7441/16/17]
  - (iv) Memorandum of Understanding between the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7442/16/17]
  - (v) Memorandum of Understanding between the Projects and Development India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7443/16/17]

- (vi) Memorandum of Understanding between the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7444/16/17]

- (vii) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Chemicals Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7445/16/17]

- (viii) Memorandum of Understanding between the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7446/16/17]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7447/16/17]

- (4) A copy of Notification No. G.S.R.1345(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> April, 2017 order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif, 2017 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 7448/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Food Corporation of India and the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7449/16/17]

---

**12.03 hours****MESSAGE FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3<sup>rd</sup> August, 2017 agreed without any amendment to the Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26<sup>th</sup> July, 2017.”

---

**12.04 hours****REPORT ON PARTICIPATION OF  
INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION\***

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the Report on the participation of Indian Parliamentary Delegation at the 133<sup>rd</sup> Assembly of the Inter-Parliamentary Union held at Geneva (Switzerland) from 17 to 21 October, 2015.

---

---

\* Laid on the Table.

**12.05 hours****STATEMENTS BY MINISTERS****(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 16<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 12<sup>th</sup> Report of Committee on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas\***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, Speaker, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 12<sup>th</sup> Report of Committee on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

---

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7450/16/17.



**12.05 ½ hours****(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 127<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Ease of Doing Business' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry\***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 127<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Ease of Doing Business' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

**(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 130<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Industrial Policy in changing Global Scenario' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry\***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 130<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on 'Industrial Policy in changing Global Scenario' pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7451/16/17 and 7452/16/17 respectively.

**(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 132<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2017-18) (Demand No. 11), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry\***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 132<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2017-18) (Demand No. 11), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

**12.06 hours**

**(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 34<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Steps taken to Bridge the Gap between the Demand and Availability of Fodder through Sub Mission on Fodder and Feed Development', pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare\***

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं पशुपालन, डेयरी और मात्सियिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चारा और फीड विकास संबंधी उपमिशन के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई पाटने के लिए उठाए गए कदम' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7453 /16/17 and 7455/16/17 respectively.

**12.06 ¼ hours****(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 277<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises\***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 277<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

---

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7456/16/17.

**12.06 ½ hours****(v)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 17<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers \***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 17<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizes.

**(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 28<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 20<sup>th</sup> Report of Committee on 'Functioning of Autonomous Institutions - Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers \***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 28<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 20<sup>th</sup> Report of

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7457/16/17 and 7458/16/17 respectively.

Committee on 'Functioning of Autonomous Institutions – Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)' pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

---

### **12.07 hours**

**(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 187<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 177<sup>th</sup> Report of the Committee on Coastal Security Scheme, pertaining to the Ministry of Home Affairs\***

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं श्री किरन रिजजू जी की ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित तटवर्ती सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7454/16/17.

**12.07 ½ hours****(vii) Status of implementation of the recommendations contained in the 15<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution\***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 15<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

---

---

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7459/16/17.

**12.08 hours**

**ELECTIONS TO COMMITTEES**

**(i) Committee on Public Accounts**

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2017 को अवकाश प्राप्त श्री शांताराम नाईक और 18 अगस्त, 2017 को राज्य सभा से अवकाश प्राप्त करने वाले श्री सुखेन्दु शेखर राय के स्थान पर लोक लेखा समिति की अव्यपगत अवधि के लिए समिति से सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate two members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the un-expired portion of the term of the Committee *vice* Shri Shantraram Naik, retired from Rajya Sabha on 28<sup>th</sup> July, 2017 and Shri Sukhendu Sekhar Roy, retiring from Rajya Sabha on 18<sup>th</sup> August, 2017 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha.”

*The motion was adopted.*

---

**12.08 ½ hours****(ii) Coconut Development Board**

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“ कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4 (1) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (e) of sub-section 4 of section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 read with rule 4(1) of the Coconut Development Board Rules, 1981, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Coconut Development Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

*The motion was adopted.*

---



**12.09 hours****MATTERS UNDER RULE 377\***

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

---

\* Treated as laid on the Table.

**(i) Need to provide financial assistance to farmers of desert areas of Rajasthan for fencing of their agricultural fields**

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : हाल ही में राजस्थान सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को तारबन्दी व सुरक्षा के लिए कम से कम ढाई बीघा व अधिकतम 9 बीघा जमीन के लिए अधिकतम 40000 रु. या कुल कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है जो छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज के दिन राजस्थान के किसान की हालत बहुत दयनीय है। प्रत्येक किसान आवारा पशुओं से परेशान है। चरू जिले में जोत सीमा तो अधिक है ही साथ ही यहां के 85 प्रतिशत से अधिक किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है जिनके पास वर्षा के अलावा सिंचाई के अन्य कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र के सभी किसानों के बाड़बन्दी एवं तारबन्दी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी करते हुए 9 बीघा क्षेत्र से अधिक जमीन वाले किसानों को भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि करावें एवं इस आवेदन की प्रक्रिया ऑन-लॉइन होनी चाहिए और सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा होनी चाहिए ताकि बिचौलियों से किसान को राहत मिल सके।

**(ii) Need to increase the frequency of Ranchi-Tori train no. 58653/58654 and extend the operation of the train upto Garhwa Road**

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को रांची से टोरी के बीच नई रेल लाईन का उद्घाटन किया था और रांची-टोरी पैसेंजर गाड़ी चालू की गई। वर्तमान में रांची से टोरी के बीच एकमात्र सेंजर गाड़ी संख्या 58653-58654 चलती है। यह गाड़ी रांची से सुबह 9.30 बजे चलकर टोरी 12.05 बजे और वापस 12.35 बजे टोरी से चलकर 15.10 बजे रांची पहुँचती है। इस गाड़ी का एक ही फेरा होने से बहुत बड़ी समस्या हो रही है और यात्री भी कम मिल रहे हैं। क्योंकि रांची टोरी या टोरी से रांची जाने वाला व्यक्ति कोई काम करके ट्रेन से वापस अगले दिन ही आ सकता है। दैनिक मजदूरी और दैनिक कार्य करके वापस आने के लिए दोनों तरफ से ट्रेन का परिचालन अनिवार्य है।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि रांची-टोरी-रांची के बीच ट्रेन सुबह और शाम दोनों तरफ से यानी दो फेरे एक दिन में किया जाएं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक कार्य के लिए आमजन को इसका लाभ मिले सकें।

साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि रांची से गढ़वा रोड के बीच एक भी पैसेंजर गाड़ी नहीं है। राँची से टोरी पैसेंजर गाड़ी को अगर गढ़वा रोड तक परिचालित किया जाता है तो डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार और गढ़वा जैसे प्रमुख स्थानों के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों को पूर्व में सुझाव दिया गया था। यह क्षेत्र अत्यंत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर सड़क मार्ग से आवागमन के बहुत ही कम सार्वजनिक साधन हैं और इस मार्ग पर एक भी सवारी गाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल से यात्रा करनी पड़ती है।

अतः मैं रेल मंत्रालय से माँग करता हूँ कि रांची-टोरी सवारी गाड़ी 58653/58654 का परिचालन गढ़वा रोड तक करवाने के निर्देश प्रदान करें।

**(iii) Need to construct raised platforms in Kaziranga National Park and Pobitora Wildlife sanctuary to enable animals take shelters during floods**

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Kaziranga National Park and Pobitora Wildlife Sanctuary, both situated in Assam are two very important wildlife destinations for tourists across India and abroad. Both inhabit a large number of wild animals and valuable plants, thereby maintaining the balance of ecosystem of nearby areas.

However, both the parks are situated in flood prone areas. Every year, the animals have to suffer a lot because of flood, many animals died in this season as well. One major reason of the death of animals is the National Highways running through both the parks. During flood, many animals need to come to the National Highways for shelter and this is indeed the biggest risk. Every year many endangered rhinoceros, deers, tigers, wild buffalos, wild boars, barking deers, leopards are either killed by running vehicles or killed by poachers.

To mitigate this, a multi-prong strategy is required. Environmentalists believe a limited amount of flood is required every year to preserve the flora and fauna of Kaziranga at least. However, the loss of lives of animals can't be accepted. As an immediate measure, I want to request Hon'ble Minister to construct certain number of raised platforms where animals can take shelter during flood. For this, proper places are to be identified first in both the parks in such a way that existing eco system is not disturbed. Apart from forest officials, local people and local environmentalists may be roped in to identify the exact locations of raised platform.

As a long term solution, I again want to make the request of diverting National Highways so that these do not pass through the national parks. This has been a long pending demand from the people of Assam and Hon'ble Minister may take cognizance of this.

**(iv) Need to set up a cyber security authority in the country**

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Digitization has become the order of the day in the country. The number of transactions using the digitization mode has been increasing day by day.

But at the same time cyber-related crimes are on the increase. There are possibilities that foreign countries are penetrating into the huge data on the digital platform.

Therefore, it is urged upon the Government of India to set up a cyber security authority to address the serious issues of cyber crime.

**(v) Need to undertake renovation of Sabya Airport in  
Gopalganj district, Bihar**

**श्री जनक राम (गोपालगंज) :** मेरे संसदीय क्षेत्र गोजालगंज में (हथुआ) सावेया हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां से 1962 में चीन से युद्ध लड़ा गया था जो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यहां से चीन नेपाल का बार्डर भी करीब है। सारण प्रमंडल से खाड़ी देश में एवं विदेश में हजारों लोग रोजगार के लिए विदेश हवाई यात्रा करने हेतु दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जाने के लिए मजबूर हैं तथा गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां से उ.प्र. करीब हैं। सावेया हवाई अड्डा निर्माण से सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत देश को काफी मजबूती मिलेगी। मैं यह बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब खाड़ी देश के दौरे पर थे तो सारण प्रमंडल गोपालगंज के युवाओं से बात हुई थी। बात करते उन्होंने युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा था कि मेरी सरकार आई तो गोपालगंज में (हथुआ) सावेया हवाई अड्डे का निर्माण होगा। यह 377 दूसरी बार मैं सदन में रख रहा हूँ। मैं स्थानीय सांसद होने के नाते भारत सरकार से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पी. गजपति राजू जी से प्रार्थना करता हूँ कि गोजालगंज जिला अति पिछड़े जिलों में से है। यहां पर इस हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार कराया जाए।

**(vi) Need to provide funds for various old and ongoing projects in Jharkhand**

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): The second Jharkhand state irrigation commission has made an assessment of the water resources in the state and identified 16 river basins which can be harnessed through major, medium and minor irrigation scheme. The commission had identified potential for these Reservoir schemes of the state which needs your kind attention.

- (1) Kalipur Reservoir Scheme on Motihara Nadi.
- (2) Bhurbhuri Reservoir Scheme on Bhurbhuri Nadi.
- (3) Bishanpur reservoir scheme on Tepra Nadi.
- (4) Jamunia reservoir scheme on Jamuna River.
- (5) Banslai reservoir scheme near Pargodih (poryaihat) at Godda on Banslai river.
- (6) Dumaria beer in Godda.
- (7) Pakaria beer in Godda.
- (9) Sugga Bathan Reservoir Scheme,
- (10) Krishnasagar Reservoir Scheme. Presently the work is at standstill.

The following old and ongoing projects need help:

- (1) Punasi: Waiting for forest clearance in Delhi.
- (2) Triveni: Tender of brick lining is awaited.
- (3) SugaaBathan: DPR is in process, project started in 1978.
- (4) Sundar Dam: Command area is not getting water, Rs 4-5 crore being given to contractors annually.
- (5) Harnabeer: Closed since 1980.
- (6) Budhai: Foundation stone laid in 1978, clearance awaited in CWC.
- (7) Saidapur & Tardihabeer: DPR is awaited.
- (8) Darhwa & Dahuabeer: Money given through 13th Finance Commission.

- (9) Kajhia, Sonapur,, Bhoura Bandh, Lahtan Pakaria Extension.
- (10) Krishnasagar: Work started in 1985
- (11) Trikut Jalashaya: Administrative nod in 2010, waiting for forest clearance.
- (12) Raja Bandh & Mahagama Canal: Pending since 1985.
- (13) 200 Lift irrigation projects of minor irrigation. 5 Major ponds, Centre allocating funds in RRR Policy and Series Check dams under AIBP, as much as 90%, but state unable to take advantage.

The state is facing fund constraint and hence it will be very difficult for the state to take new schemes for execution under state plan, but these are old projects and need urgent attention of the Union Government. Detailed survey and DPR of the new projects are still awaited.



**(vii) Need to ensure provision of ponds in the premises of residential colonies and multi-storey buildings for recharging of ground-water**

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** भूगर्भ जल की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। जल के अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण के कारण यह समस्या अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। भूगर्भ जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इस समस्या के निराकारण के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने समग्र सोच के साथ अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। पानी का संयमित उपयोग, पांच लाख तालाबों का पुनरुद्धार, व्यापक वृक्षारोपण, नदियों की सफाई इत्यादि, जल प्रबंधन की बड़ी योजना के अंग हैं। इस दृष्टि से भवनों में वॉटर रिचार्जिंग के उपाय भी किये जाते हैं परन्तु नगरीय क्षेत्रों में तलाबों के अभाव के कारण ये अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करे कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाली कॉलोनियों व बहुमंजिली इमारतों के परिसरों में तालाब बनवाया जाना अनिवार्य किया जाये ताकि इनके माध्यम से वॉटर रिचार्जिंग प्रभावी ढंग से की सके तथा भूगर्भ जल के स्तर में सुधार किया जा सके।

**(viii) Need to declare Minimum Support Price for farm produce  
in a time-bound manner**

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** देश की सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम उठा रही है। जैसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मृदा परीक्षण योजना इत्यादि, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और किसान खुशहाल हो। फिर भी कई ऐसे मजबूर गरीब किसान हैं, जो जरूरतों को पूरा करने, अपने कर्ज चुकाने, घर परिवार चलाने हेतु अपनी तैयार फसल को बाजार में व्यापारियों के पास कम कीमत में बेच देते हैं। व्यापारी वर्ग द्वारा उत्पादन लागत से कम कीमत पर तैयार फसल को खरीदने से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और छोटे व्यापारियों को उनकी लागत के बराबर तैयार फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है और न ही उन्हें लाभकारी मूल्य मिल पाता है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी की तरह पूरे देश में किसानों के कपास, गेहूं, चना, मूंग इत्यादि कृषि फसलों के दाम एक समान होना चाहिए और जैसे ही खेत से किसान अपने उत्पादित कृषि फसल को निकालता है उसी समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से घोषित करना चाहिए ताकि किसान का कभी भी शोषण न हो सके और उसे अपने उत्पादित माल का लाभकारी मूल्य मिल सके साथ ही साथ मेरी भारत सरकार से मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को खेत से पैदावर मिलने के तुरंत बाद घोषित करना चाहिए क्योंकि पैदावर के दो महीने के भीतर छोटा किसान अपनी उपज का बड़े व्यापारियों द्वारा वित्त पोषित छोटे व्यापारियों को बेच देता है क्योंकि फसल को स्टोरेज करने की क्षमता छोटे किसानों में नहीं होती और न ही उनके पास समुचित गोदाम होते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों की उपज खेत में आने के तुरंत बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार को किसान हित में करनी चाहिए।

**(ix) Need to set up Skill Development and training centres  
in Aurangabad district, Bihar**

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :** मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि देश में कौशल विकास के अंतर्गत एक एकीकृत योजना होनी चाहिए जिससे व्यक्तिगत अन्वेषकों एवं अन्य लोगों के लिए सरकार द्वारा नवोन्मेष के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाये जिससे कि इस देश के नौजवानों और प्रतभाशाली युवाओं को पूर्ण रूप से अनेक योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकें।

दिसम्बर, 2015 में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि एल डब्ल्यू ई के सभी जिला एवं संसदीय क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं, परंतु इस दिशा में अभी तक समुचित कदम उठाये गए हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाये कि मेरे संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, इस वजह से विशेष रूप से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से नौजवान एवं गरीब हथियार थामने को विवश हो रहे हैं और उग्रवादी संगठनों में शामिल हो रहे हैं और आज क्षेत्र के अधिकांश ऊर्जावान व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित है।

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद एवं गया जिले के प्रत्येक पंचायत/प्रखण्ड, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पंचायतों/प्रखंडों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ जिला मुख्यालय में हार्ड स्किल्स के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्लेसमेंट सेंटर की शीघ्रता से स्थापना की जाये और उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाये।

**(x) Need to check the cyber game 'Blue Whale'**

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): In several cases 'Blue Whale' the suicide game, is resulting into cyber mesmerism. Many teenagers had become addicted to this game and fall prey to misadventure. The first suicide by a teenager in Mumbai while performing the final task of this game has been reported. Serious attention by both Central and State Governments is required. It may be noted that around 160 teens have died/committed suicide in Eastern Europe and Russia due to cyber mesmerism created by 'Blue Whale' game. Immediate action is required by Ministry of Electronics & Information Technology and Ministry of Home Affairs.

**(xi) Need to set up a Tertiary Cancer Centre in Darbhanga  
Medical College, Bihar**

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : सन् 2015 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हॉस्पिटल में टरशरी कैंसर सेंटर के लिए 45 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की थी। बिहार सरकार के द्वारा मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा चुका है परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा राशि निर्गत नहीं की गयी है। दरभंगा हॉस्पिटल मिथिलाचंल का एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। इस सेंटर की शुरूआत से अन्य जिलों को भी लाभ अर्जित होगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को अतिशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें जिससे हॉस्पिटल में टरशरी कैंसर सेंटर की स्थापना हो सके।

**(xii) Need to reserve various posts in PSUs of Gujarat  
for recruitment of local people**

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** केन्द्र और राज्य सरकारों की नीति श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की होती है। गुजरात राज्य की वर्तमान रोजगार नीति के अनुसार राज्य में प्रस्थापित राज्य एवं केन्द्र सरकार के औद्योगिक ईकाईयों तथा निजी प्रोत्साहित औद्योगिक ईकाईयों में तमाम पदों में से मिनिमम 85 प्रतिशत पदों तथा मैनेजर, सुपरवाइजर के पदों पर मिनिमम 60 प्रतिशत जगहें गुजरात राज्य में 15 सालों से स्थायी तौर पर रहते हुए स्थानिक व्यक्तियों से भरी जाती है।

मेरी मांग है कि इस गुजरात मॉडल के आधार पर केन्द्र सरकार के सभी औद्योगिक इंटरप्राइजिस तथा ज्वाइंट क्षेत्रीय उद्योग घरानों में कर्मचारी, कामगार, कारीगर वर्ग की मिनिमम 85 प्रतिशत भर्ती तथा मैनेजीरियल और सुपरवाइजरी जगहों पर मिनिमम 60 प्रतिशत भर्ती स्थानिक लोगों की ही करनी चाहिए क्योंकि स्थानिक राज्य सरकार द्वारा भूमि, पानी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जाती है।

आधुनिक लोकतंत्र कल्याणकारी लोकतंत्र कहलाता है। इसमें श्रमिकों का योगदान देश के उत्थान में मील का पत्थर होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी श्रमेव जयते का नारा है उसको यर्थाथ रूप देने हेतु स्थानिक श्रमिकों को एक प्रकार का भर्ती का आरक्षण दिया जाए इसके लिए नियम न हों तो नियम बनाए जाएं तथा उनको क्रियान्वयन में लाया जाना चाहिए।

**(xiii) Need to set up a separate unit for treatment of cancer in hospitals in  
Banda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांदा एवं चित्रकूट जिलों में कैंसर के मरीज बड़ी मात्रा में हैं, जिन्हें इलाज के लिए इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि जगहों में जाना पड़ता है, जो हमारे यहां से 200 से 300 कि.मी. तक है। यह एक गरीब, पिछड़ा इलाका है। इलाज में लोगों के विशेषकर गरीबों के घर तथा बर्तन तक बिक जाते हैं।

अस्तु सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों में कैंसर के समुचित इलाज हेतु पृथक ईकाई खोलने की कृपा करें। इस हेतु जिला अस्पताल चित्रकूट तथा बांदा में पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

**(xiv) Regarding details of agreement between Government of India  
and NSCN (IM) of Nagaland**

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): It has been more than two years since Government of India (GoI) and NSCN-IM signed a Framework of Agreement on 3rd August 2015. It appears nobody knows the content of it. Muivah talks of shared sovereignty with GoI. Even through RTI, we are not getting the details of this agreement. Nagaland Tribes Council has questioned the Chief Minister of Nagaland for supporting the Agreement without knowing the details. The demand of NSCN-IM for Greater Nagaland is unacceptable because it includes a large chunk of the territory of Manipur. The Government of Manipur also wanted to know the details of the agreement but to no avail. The Prime Minister's version about the Agreement is in contradiction to that of Muivah. We are very anxious about the contents of the agreement. I demand and urge upon the Prime Minister to make a statement in Lok Sabha to clarify the position during this ongoing Session.



**(xv) Regarding implementation of MUDRA Scheme in Thanjavur  
Parliamentary Constituency of Tamil Nadu**

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): I would like to urge the Government to instruct banking sector to provide loan under MUDRA Scheme to small entrepreneurs in my Thanjavur Constituency of Tamil Nadu. India, being a developing country, requires its small entrepreneurs to grow and prosper. However, keeping in view the huge population and the associated poverty line, it is not an easy task to accomplish. Therefore, the Government launched the MUDRA Scheme in 2015. The Government has set a target of Rs. 2.44 lakh crore for the current financial year under this scheme. In Thanjavur district, approximately 50,000 graduate come out of colleges every year. Of them 15,000 go for higher studies, 15,000 for jobs in private companies and 15,000 youth could become entrepreneurs. Banks should help at least 1000 of them in a year by providing loans for setting up small scale industries. However, it is observed that some banks in my constituency have refused to sanction loans on one or the other pretext. Therefore, I urge the Government to evaluate the scheme and rectify the mistakes and also to enhance the target level to cover more young entrepreneurs in my constituency.

**(xvi) Need to improve the mechanism of payment of premium under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana**

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Pradhana Mantri Fasal Bima Yojana the new crop insurance scheme was launched last year by this government. It is better than the previous national agricultural insurance scheme. But there are many flaws in the scheme. Usually the farmers enrolment in their PAC Bank gives preference to the loanee farmers. They cause delay in enrolment of non-loanee farmers and also they are not allowed to pay the premium upto the due date. They fix a particular due date and advise the farmers to pay the premium within that date. This causes delay to accept the premium amount from the non-loanee farmers.

Some farmers are not able to pay the premium within the date, some of them are not aware of the date. So lapse occurs and also the collected premium amount must reach the insurance company within the date. Most of the PACB and rural bank don't have the proper internet service and have server problems. The payment details don't reach the insurance companies properly. So the insurance companies should extend the time for at least one more month for this procedure.

The insurance companies should set up the Common Service Centre (CSC) at village level in Thiruvarur and Nagapattinam district. They must establish 573 centers in Thiruvarur and 523 centres in Nagapattinam . But they have only less than 100 centres. Therefore, the above mentioned number of CSCs should be setup at village level immediately.

The premium collecting agents through CSC have various duties like, registering farmers details, variety of crops, the field photo update, data entry to central government portal and state government portal. They also conduct 4 crop cutting experiments (CCE) in each village. In Thiruvarur and Nagapattinam they should conduct more than 25,000 CCE in all crops. The honorarium of the CSC

agents are very low, they get only Rs.5,000 per month. So agents don't come forward to perform the required tasks. Hence, the honorarium for the CSC staff should be paid through the government.

The insurance amount is calculated considering the years yield, that is 5 years good yield, 2 years bad yield. Bad yield should be avoided, and also the distribution of insurance amount should be done for every village individually not district wise or lot wise. If they give it at the village level it is easy to distribute the amount very quickly.

In Thiruvarur, Thiruthuraipoondi, Koltur, Mutthupettai, Nannilam, Thiruvarur blocks, the threshold yield is very low. In this case they should consider only the high yield blocks and pay the insurance amount equally for all blocks. So that the insurance amount variation within the farmers will be avoided.

Finally the insurance should pay through a government agency, because in the year 2016-17 throughout India the farmers' contribution is Rs. 2000 crores. The Central and State government's contribution is Rs. 7000 crore. When Drought affected all over India, the insurance companies paid only Rs. 4500 crores to the farmers, the balance 4500 crore is net profit for the insurance companies. This clearly proves that the insurance companies pocket a major portion of the fund. So I advise the government to pay the insurance to the farmers through government agencies.

**(xvii) Need to review the decision to divest Air India.**

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Air India has served the nation for decades and was always there for the service of the national call. If today it is in this financial situation it was not because of itself but successive governments that have shortchanged Air India and treated it like their private properties and at times private airlines were favoured. The government has recently proposed a strategic disinvestment of Air India and its 5 subsidiaries. Since 2015, Air India has shown healthy signs of revival, owing to the TP initiated in 2012. For the first time in 10 years, Air India reported an operating profit of 105 crores in 2015, and 205 crores in 2016. As the government operates BSNL, MTNL in communications and DD and AIR in broadcasting, it should have a national carrier too.

I urge the Government to reconsider the decision and to work on restructuring the debt of Air India.

**(xviii) Need to set up a branch of Life Insurance Corporation of India  
at Malkangiri, Odisha**

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): Odisha comprises of 30 Districts. Malkangiri District, which falls in my Parliamentary Constituency, is ranked 30th in all respects and is also farthest from the state capital Bhubaneswar. It is the only district in the state not to have a Branch of LIC. The nearest Branch is at Jeypore in Koraput District which is 100 km away from Malkangiri District Headquarters and 200 km away from its farthest point i.e. Motu. For withdrawing maturity money, cash back money or death claims, the beneficiaries have to travel more than 100 kms. This discourages many people not to go for LIC policy. Opening a Branch office at Malkangiri will encourage people to go for LIC policy as it will make all transactions easy, simple and hassle free. The Government is requested to advise the concerned officials to open one Branch office of LIC at Malkangiri.

**(xix) Need to take suitable step for resettlement of Jhuggi-Jhopri clusters presently occupying land owned by the Mumbai Airport Authority**

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तकरीबन 175 एकड़ जगह पर कम से कम 80 हजार से भी ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी पट्टियाँ बसी हुई हैं। पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से बसी हुई इन झोंपड़ पट्टियों में अनेक प्राथमिक सुविधाओं की समस्या है। जैसे शौचालय, पीने का पानी, रास्ते एवं अन्य सुविधा न होने की वजह से बस्ती में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी सहनी पड़ती हैं। इन झोंपड़ पट्टियों का पुनर्वास करने की योजना केन्द्र सरकार ने बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अतः केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की जमीन पर बसी हुई झोंपड़ पट्टियों का पुनर्वास का निर्णय लिया है। मेरी प्रार्थना है कि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसी हुई पट्टियों का पुनर्वास राज्य सरकार के माध्यम से जल्दी से जल्दी करने की योजना बनाएं।

**(xx) Regarding new rail coach factory in Palakkad, Kerala**

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): A new Rail Coach Factory project was announced in Rail budget, 2008 and a foundation stone was laid for the same in 2012. A request for qualification (RFQ) was floated in September 2013 but no responsive bids were received. Since then, though it was decided that the business model will be made more conducive to investment and a fresh RFQ will be floated, it has not happened. Further, the Steel Authority of India (SAIL) had shown interest in the joint venture for Coach Factory. I urge upon the Government to take immediate steps to bring this project under 'Make in India' and to float a fresh RFQ to explore the possibility of Joint venture with any other public sector including SAIL to get it operational in a time-bound manner.

**(xxi) Need to review functioning of DISHA Committee**

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): The Union Government constituted DISHA Committee to be chaired by Member of Parliament, Lok Sabha on 28th July, 2016 for effective development coordination of almost all important central schemes. Making a statement in Lok Sabha, the Hon'ble Minister for Rural Development has stated that this committee will monitor the implementation of 28 schemes and programmes of Ministry of Rural Development and other Ministries to promote synergy and convergence for greater impact.

These meetings are supposed to be held once in every quarter and this is supposed to be mandatory. But in many districts, the meetings are not conducted as per the guidelines. These meetings are being reviewed by the Ministry of Rural Development as the Minutes of the DISHA committee are to be uploaded on the website of the Ministry. Hence, I would like to request the Minister for Rural Development to issue necessary instructions for the smoother conduct of DISHA, as well as evolve a policy to closely monitor and fix responsibility on district administration so as to ensure that the guidelines of the Union Government are strictly adhered to.



**(xxii) Need to ensure speedy justice in cases of crimes against women**

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): A 15 year old minor was brutally raped and killed by three men in Kopardi village in Karjat taluka of Ahmednagar district of Maharashtra on 13 July, 2016. It has been a year since the assault on the minor and the victim is yet to receive justice. Even after more than a year, justice is yet to be delivered. The total number of pending cases in High Courts and Subordinate Courts, by the end of 2014, is more than three crores. Of these pending cases, 9.2% have been pending for more than ten years in these Courts. Crimes committed under Indian Penal Code (IPC) against women, as proportion of total IPC crimes have increased to 11.4 percent in 2014. Thus, I would like to bring to the notice of the Government the compelling need for the Centre to assist states in undertaking safety measures and ensuring speedy justice for women.

**(xxiii) Need to accord approval to the proposal of Government of Uttar Pradesh to start new Sainik School in Mainpuri district, Uttar Pradesh**

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी): उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना की वर्षों से मांग है। मैनपुरी के अलावा फर्रूखाबाद, एटा, इटावा के लोगों के लिए सेना का बड़ा आकर्षण है। अभिभावक सैनिक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित रहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ 30 अप्रैल, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयास से 240 करोड़ की लागत से सैनिक के निर्माण में तेजी लायी गयी। स्कूल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसी साल अप्रैल, 2017 में कक्षाएं भी शुरू कराने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार व रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

सरकार से मेरी मांग है कि सैनिक स्कूल को प्रारंभ करने के लिए उचित कदम उठाये जाएं जिससे शैक्षणिक सत्र अतिशीघ्र शुरू हो सके।

---

**12.10 hours****STATUTORY RESOLUTION RE: INCREASE IN  
BASIC CUSTOMS DUTY**

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND  
MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move the following  
resolution:-

"In pursuance of section 8A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No. 56/2017-Customs, dated 30th June, 2017 [G.S.R.797(E). dated 30th June, 2017] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) from NIL to 10% on the following goods:-

S.No.	Tariff Item	Description
1.	8443 32 90	Printers other than Line printer, Dot matrix printer, Letter quality daisy wheel printer, Laser jet printer, Ink jet printer, Facsimile machine
2.	8443 99 51	Ink cartridges, with print head assembly
3.	8443 99 52	Ink cartridges, without print head assembly
4.	8443 99 53	Ink spray nozzle
5.	8517 12 10	Telephones for cellular networks or for other wireless networks (Push button type)
6.	8517 12 90	Telephones for cellular networks or for other wireless networks (Other than push button type)
7.	8517 61 00	Base stations
8.	8517 70 90	Parts of goods under tariff heading 8517 other than populated, loaded or stuffed printed circuit boards."

HON. SPEAKER: The question is:

"In pursuance of section 8A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No. 56/2017-Customs, dated 30th June, 2017 [G.S.R.797(E). dated 30th June, 2017] which seeks to increase the basic customs duty (BCD) from NIL to 10% on the following goods:-

S.No.	Tariff Item	Description
1.	8443 32 90	Printers other than Line printer, Dot matrix printer, Letter quality daisy wheel printer, Laser jet printer, Ink jet printer, Facsimile machine
2.	8443 99 51	Ink cartridges, with print head assembly
3.	8443 99 52	Ink cartridges, without print head assembly
4.	8443 99 53	Ink spray nozzle
5.	8517 12 10	Telephones for cellular networks or for other wireless networks (Push button type)
6.	8517 12 90	Telephones for cellular networks or for other wireless networks (Other than push button type)
7.	8517 61 00	Base stations
8.	8517 70 90	Parts of goods under tariff heading 8517 other than populated, loaded or stuffed printed circuit boards."

*The motion was adopted.*

---

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात थोड़ी होती है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक क्लेरिफिकेशन है।

माननीय अध्यक्ष : अब क्या क्लेरिफिकेशन है ?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, क्लेरिफिकेशन पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को भी गुमराह किया, उन्होंने सदन को भी गुमराह करने का स्टेटमेंट दिया।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, I totally disagree with hon. Mallikarjun Kharge Ji. यदि कोई देश को गुमराह कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है।...(व्यवधान) यदि गुमराह कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान) वह कहां-कहां जा रहे हैं।...(व्यवधान) राहुल गांधी जी को एसपीजी कवर क्यों चाहिए, यदि वह एसपीजी कवर यूज़ नहीं कर रहे हैं? इतना पैसा देश का खर्च हो रहा है?...(व्यवधान) हम एसपीजी कवर देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार एसपीजी कवर दे चुकी है।...(व्यवधान) हम पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनको भी रिस्पांसिबल रहना चाहिए।...(व्यवधान) उनको एसपीजी कवर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।...(व्यवधान) उस प्रोटेक्शन का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।...(व्यवधान) जब वह विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो एसपीजी कवर क्यों नहीं लेकर जाते हैं?...(व्यवधान) वहां भी ले जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, क्या अब हर एक को एक ही विषय पर बोलना है?

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि एजर्नमेंट मोशन को आप हेट करती हैं।...(व्यवधान) You hate that word.

HON. SPEAKER: I do not hate the word.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : सभा की मर्यादा रखते हुए मैंने एजर्नमेंट मोशन नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जीएसटी के मामले में जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि पांच परसेंट टैक्स वेट के ऊपर तेलंगाना में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स 2,30,000 करोड़ का काम चल रहा है।...(व्यवधान) 18 परसेंट टैक्स लगाने से पूरे तेलंगाना में फाइनैस की गड़बड़ हो जाएगी इसलिए इसे रोल बैक करना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** बार-बार एक ही बात को उठा रहे हैं?

श्री देवेन्द्र सिंह भोले।

...(व्यवधान)

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :** जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाया गया है, इमीडिएटली इस पर एक्शन लेकर रोल बैक करना चाहिए। हमारी तरफ से यह विनती है। ...(व्यवधान) You should save Telangana on this. नहीं तो तेलंगाना का बजट ऊपर-नीचे हो जाएगा। ...(व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांग जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

मूक बधिरों एवं दिव्यांग जनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था देश और प्रदेश में नहीं है, जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते हुए लाचारी की जिंदगी जीने को तरसते हैं। ...(व्यवधान) देश के दिव्यांग जनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से ऑल इंडिया स्पीच इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग की स्थापना कराए जाने के लिए आग्रह किया था। इस संबंध में कानपुर नगर ने कई पत्रों द्वारा कानपुर महानगर प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा और जिलाधिकारी द्वारा 20 एकड़ जमीन की मांग की थी और वह जमीन उपलब्ध करा दी गई है। ...(व्यवधान)

### **12.13 hours**

*(At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

मैं इस संबंध में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर स्पीच एंड हियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मांग कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी सरकार को निर्देश करने की कृपा करें और स्पीच एंड हियरिंग विद्यालय खोलने की शासन स्तर से व्यवस्था कराएं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सुदीप जी, एक ही विषय बार-बार नहीं उठाना है।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, Rahul Gandhi Ji is the Leader of the largest Opposition Party of the country. I think there should be no 'ifs' and 'buts' and questions.

HON. SPEAKER: Nobody is saying that.

### **12.15 hours**

*(At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members went back to their seats.)*

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : That attack upon him, no doubt, is highly condemnable. It is disgraceful also. Everybody should condemn it. What we feel is that this is reflection of intolerance which is there in the society.

If one political leader goes to campaign or for any party work, why should he not be allowed to function properly? I think, Rajnathji has said this and I would also request Rahulji to always move with the cover of SPG Forces. His life is more important to all of us. This aspect has also to be taken care of very carefully. किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, nobody can give any signal or support. So, let the House condemn the incident all out, and his life should be protected properly.

HON. SPEAKER: Shri Ajay Misra.

... (Interruptions)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान) 9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसकी 8 अगस्त, 1942 को घोषणा की गयी थी।...(व्यवधान)

**12.16 hours**

*(At this stage Shri B.N. Chandrappa and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह वह आंदोलन था, जिससे तय हो गया था और अंग्रेजों ने भी मान लिया था कि अब भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी। ... (व्यवधान) वर्ष 1942 से वर्ष 1947 के बीच में ऐसी सभी प्रारंभिक बातें, जैसे संविधान का निर्माण, सत्ता का हस्तांतरण आदि हुई थीं। ... (व्यवधान) हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए तय किया है कि हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो आने वाले पांच वर्षों ... (व्यवधान) जैसे वर्ष 1942 से वर्ष 1947 के बीच हुआ था, वैसे ही हम वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच में भारत देश को विकासशील देश की श्रेणी से निकालकर विकसित देश की श्रेणी में लायें। ... (व्यवधान) इस देश के सब लोगों को मकान और रोजगार मिले। ... (व्यवधान) सबकी जेब में पैसा हो, ऐसा लक्ष्य हमारे प्रधान मंत्री जी का है। ... (व्यवधान)

**12.17 hours**

*(At this stage Shri Choudhury Mohan Jatua and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ... (व्यवधान) यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वतंत्रता संग्राम के सब सेनानियों को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन देते हुए अपने जिले के दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। ... (व्यवधान) वर्ष 1942 का आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें आखिरी फांसी मेरे लोक सभा क्षेत्र के श्री राज नारायण मिश्र को हुई थी। ... (व्यवधान) उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोई फांसी नहीं हुई। ... (व्यवधान) दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बंसीधर शुक्ल हैं, जिनके गाये हुए गीतों को स्वतंत्रता आंदोलन और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज गाती थी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर एक स्मारक लखीमपुर जिले में बनाया जाये। ... (व्यवधान) मैं सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ... (व्यवधान) मैं सदन के विरोधी पक्ष से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रधान मंत्री जी के टास्क का संज्ञान लेते हुए इस देश को पांच साल में एक विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान दें। ... (व्यवधान) इस देश के सब लोग सुखी हों, ऐसा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उसे पूरा करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)



**माननीय अध्यक्ष :** श्री सी.पी. जोशी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not proper.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You do not want the House to run.

... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया है। What is this happening?

...(व्यवधान)

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदया, मैंने आज जीरो ऑवर में जो नोटिस दिया था ... (व्यवधान) मेरी फोन पर बात हुई, तो वह मैटर सॉल्व हो गया है। ... (व्यवधान) अगर आपकी परमिशन हो, तो मैं सदन में एक और इम्पोर्टेंट मैटर उठाना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, अभी रविवार को सारे अखबारों में केरल के विषय में दो खबरें छपी थीं। ... (व्यवधान) पहली खबर माननीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जी के दौरे के बारे में थी कि किस तरीके से वहां क्या हुआ?... (व्यवधान) दूसरी खबर एक अखबार में छपी थी कि सीपीएम की सरकार ने जुनैद के परिवार को दस लाख रुपये मुआवजा देने के बारे में तय किया है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहती हूं कि हम क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर की लगातार बात करते हैं, तो उसके तहत राज्य सरकार को राज्य के लोगों के लिए कार्रवाई करनी है। ... (व्यवधान) वहां पर 500 मकान जला दिये गये। ... (व्यवधान) 11 लोगों के घर एक दिन में जले और 30 लोगों के घर तीन दिन के अंदर जले। ... (व्यवधान) वहां 500 मकान जलाए जाने के बाद लोग बेघर हो गए हैं। ... (व्यवधान) वहां 13 महीनों के अंदर 14 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से चार दलित लोगों की हत्या हुई है। उनके लिए राज्य सरकार ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उन लोगों को कंपनसेशन मिले, क्योंकि यह राज्य का केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य है। ... (व्यवधान) अपने कर्तव्यों में सीपीएम सरकार लगातार विफल होती दिखाई दे रही है और जुनैद के नाम पर राजनीति करना चाहती है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ.मनोज राजोरिया, प्रो. रिचर्ड हे एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not the way.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 9<sup>th</sup> August, 2017 at 11.00 a.m.

### **12.21 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock  
on Wednesday, August 9, 2017 / Shravana 18, 1939 (Saka).*

---